न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मोहन सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 15/**03 (वाद)**

1. श्री दूदा पिता उदयराम पालीवाल, ब्राहम्ण निवासी साकरोदा तह. मावली।
2. श्री तुलसीराम पिता उदयराम पालीवाल, ब्राहम्ण निवासी साकरोदा तह. मावली।
3. श्री भंवरलाल पिता रूपलाल पालीवाल, ब्राहम्ण निवासी साकरोदा तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री सोहनलाल पिता रूपलाल पालीवाल निवासी साकरोदा तह. मावली।
2. श्री भगवतीलाल पिता रूपलाल पालीवाल निवासी साकरोदा तह. मावली।
3. श्री रमेशचन्द्र पिता रूपलाल पालीवाल निवासी साकरोदा तह. मावली।
4. श्री नारायणलाल तिपा रूपलाल पालीवाल निवासी साकरोदा तह. मावली।
5. श्री नाथुलाल पिता हीरालाल गुजर निवासी साकरोदा तह. मावली।
6. श्री शंकरलाल पिता हीरालाल गुजर निवासी साकरोदा तह. मावली।
7. मु. सवी बेवा हीरालाल गुजर निवासी साकरोदा तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री दिनेश पालीवाल, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 4।
2. श्री भंवरलाल ओस्तवाल, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 5 व 6।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 26.08.2019

1. वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती का पेश कर वादग्रस्त भूमि मौजा साकरोदा पटवार हल्का साकरोदा की वादवर्णित भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण लम्बे समय से काबिज होने से भूमि को अपने नाम दर्ज कराने की घोषणा चाही जाने से उक्त वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया हैं।
2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा जवाब दावा मय प्रतिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्णित कृषि भूमियां ग्राम साकरोदा तह. मावली में स्थित हैं। तथा परिशिष्ठ में वर्णित अनुसार कृषि भूमियों का मौके पर वाद पत्र में वर्णित अनुसार पृथक–पृथक कब्जा हैं और उक्त कब्जे के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 कृषि भूमियां राजस्व अभिलेख में अपने नाम खातेदारी हक से दर्ज कराने के अधिकारी हैं। यह कि खसरा सं. 1211 रकबा 6 बीघा

प्रतिवादी सं. 1 से 4 के पूर्वजों ने प्रतिवादी सं. 5, 6, 7 के पूर्वजो से जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 05.09.1938 द्वारा खरीद किया था तब से उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 4 के पूर्वजों के आधिपत्य में चली आ रही तथा वर्तमान में उक्त कृषि भूमि खसरा सं. 1211 पर प्रतिवादी सं. 1 से 4 का आधिपत्य हैं। उक्त जमीन बीड के रूप में हो प्रतिवादी सं. 1 से 4 के मवेशी इसमें घास चरते है तथा प्रतिवादी सं. 1 से 4 इसमें से घास काटकर ले जाते हैं तथा प्रतिवादी सं. 5 से 7 के पूर्वजों ने बाद में विवाद पैदा हो जाने पर प्रतिवादी सं. 1 से 4 के पूर्वजो के पक्ष में लिखतम् भी संपादित कर दी परन्तु राजस्व अभिलेख में उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 5 से 7 के नाम पर अंकित हैं। चूंकि खरीद और कब्जे के आधार पर उक्त कृषि भूमि के प्रतिवादी सं. 1 से 4 स्वामित्व धारी है इसलिए प्रतिवादी सं. 1 से 4 खसरा सं. 1211 अपने खातेदारी की घोषित कराने के अधिकारी है और इस बाबत् प्रतिवादी सं. 5 से 7 के विरूद्व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 4 खसरा सं. 1211 प्रतिवादी सं. 5 से 7 के नाम से राजस्व अभिलेख से निरस्त करा अपने नाम खातेदारी हक से इन्द्राज कराने के अधिकारी हैं।

3. प्रतिवादी सं. 5, 6 राजस्व अभिलेख में खसरा सं. 1211 का अपने नाम पर इन्द्राज होने के कारण उक्त कृषि भूमि से प्रतिवादी सं. 1 से 4 को जबरन बेदखल कर आधिपत्य करना चाहते है तथा इस हेतु दिनांक 17 व 18.08.94 को अपने मवेशी उक्त बीडे में छोड दिये तथा प्रतिवादी सं. 1 से 4 को धमकी दी कि जमीन हमारे नाम पर है इसलिए हम कब्जा करेंगे, प्रतिवादी सं. 5, 6 के मन में बयमानी पैदा हो जाने उनकी गलत हरकतो और जमीन पर प्रतिवादी सं. 1 से 4 को बेदखल कर जबरन आधिपत्य की चेष्ठा को देखते हुये प्रतिवादी सं. 1 से 4 प्रतिवादी सं. 5, 6 के विरूद्व माननीय न्यायालय में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 212 के तहत् अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सं. 5, 6 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी जो आदेश राजस्व अपील अधिकारी जी, उदयपुर द्वारा भी बहाल रखा गया।

4. उक्त मामलें में प्रतिवादी सं. 1 से 4 प्रतिवादी हैं तथा प्रतिवादी सं. 5, 6 भी प्रतिवादी है परन्तु खसरा सं. 1211 प्रतिवादी सं. 1 से 4 के आधिपत्य में होने

और प्रतिवादी सं. 5, 6 द्वारा विवाद पैदा करने के कारण उक्त प्रतिवादीगण प्रतिवादी सं. 5, 6 के विरूद्ध काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने के अधिकारी हैं।

5. काउन्टर क्लेम की बिनाय दिनांक 17–18.08.94 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

6. अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं. 1 से 4 का प्रतिवादी सं. 5, 6 के विरूद्व काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम साकरोदा की खसरा सं. 1211 रकबा सवा छः बीघा का प्रतिवादी सं. 1 से 4 को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व अभिलेख में उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 5 से 7 के नाम से निरस्त कर प्रतिवादी सं. 1 से 4 के नाम खातेदारी हक से अंकित की जावे तथा प्रतिवादी सं. 1 से 4 के पक्ष में और प्रतिवादी सं. 5, 6 के विरूद्व निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावें।

7. प्रकरण में प्रतिवादी सं. 5, 6 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नम्बर 1211 प्रतिवादी सं. 5, 6 की होकर हमारे ही आधिपत्य में है। इस जमीन में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 से 4 का कोई हक हिस्सा नहीं है तथा उन्होनें यह जमीन नहीं खरीदी है उन्होनें सारे तथ्य गलत प्रस्तुत किये हैं। इसलिए वादीगण का वाद खारिज किया जावें।

8. प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई :–

   1. आया आराजी सं. 1211 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा के प्रतिवादी सं. 1 से 4 के स्वामित्व की होने से खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी हैं।

.....बजिम्मे प्रतिवादी सं. 1 से 4

9. वादीगण द्वारा वादपत्र के समर्थन में दस्तावेज रजिस्ट्री नकल प्रदर्श 1, खसरा परिसोधन पत्रक प्रदर्श 2, सेटलमेन्ट खसरा प्रदर्श 3, बंटवाडा लिखापढी प्रदर्श 4 प्रस्तुत किए।

10. प्रतिवादी सं. 1 से 4 द्वारा अपने प्रतिवाद के समर्थन में बयान गवाह पीडब्ल्यू 1 श्री भगवतीलाल, पीडब्ल्यू 2 श्री हीरालाल, पीडब्ल्यू 3 श्री मन्नालाल, पीडब्ल्यू 4 श्री कालुराम, पीडब्ल्यू 5 श्री उदयलाल के बयान कलमबद्ध करायें। प्रतिवादी सं. 5, 6 द्वारा अपने समर्थन में साक्ष्य प्रतिवादी डीडब्ल्यू 1 श्री नाथुलाल, डीडब्ल्यू 2 श्री शंकरलाल, डीडब्ल्यू 3 श्री कुका के बयान कलमबद्ध करायें।

11. प्रकरण में दिनांक 28.03.2016 को वादीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से वादीगण का वाद अबेट किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 4 का काउन्टर क्लेम होने से प्रकरण काउन्टर क्लेम अनुसार कार्यवाही की गई।
12. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 4 द्वारा लिखित बहस मय दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रतिवाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 5, 6 द्वारा भी लिखित बहस मय नजीर AIR 2007 Page 10, CPC Order 8 Rule 6(A), AIR 2019 Page 76 प्रस्तुत कर प्रतिवादी सं. 1 से 4 का प्रतिवाद खारिज किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 5, 6 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151 का पेश कर प्रतिवादी सं. 1 से 4 द्वारा लिखित बहस के साथ प्रस्तुत दस्तावेज को रेकार्ड पर नहीं लिया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 1 से 4 द्वारा प्रकरण में प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र को मूल वाद के साथ निस्तारण किया जाने का निवेदन किया।
13. हमने पत्रावली का अवलोकन किया दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस पर बगौर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरों का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में वादीगण द्वारा घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का प्रस्तुत किया जो वादीगण की अनुपस्थिति दिनांक 30.12.2002 को वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका हैं। प्रकरण में वादी सं. 1 व 2 फौत हो चुके हैं। प्रकरण में वादी सं. 3 द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से वादीगण का वाद दिनांक 28.03.2016 को अबेट किया गया। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में आराजी नम्बर 1211 प्रतिवादी सं. 5, 6 के नाम दर्ज होना बताया हैं। वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 1211 क्रय कर मौके पर लम्बे समय से आधिपत्य होने से प्रतिवादी सं. 1 से 4 द्वारा प्रतिवाद प्रस्तुत किया हैं। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 से 4 की मुख्य दाद प्रतिवादी सं. 5 व 6 के विरूद्व होने से प्रतिवाद भी प्रतिवादी सं. 5 व 6 के विरूद्व ही लाया गया है जिस पर न्यायालय द्वारा निम्न तनकी कायम की गई कि ''आया आराजी सं. 1211 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा के प्रतिवादी सं. 1 से 4 के स्वामित्व की होने से खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी हैं।'' उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी सं. 1 से 4 पर रहा। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 से 4 द्वारा अपने समर्थन में गवाह व दस्तावेज भी पेश किये हैं।

14. चूंकि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 5 व 6 के नाम दर्ज हैं। वादी का वाद अबेट होने से इस प्रकरण में वादीगण के लिए कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती हैं। अब प्रतिवादी सं. 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद प्रतिवादी सं. 5 व 6 के विरूद्व हैं। सर्वप्रथम हमे यह देखना है कि क्या प्रतिवादी का प्रतिवादी के विरूद्व प्रतिवाद चल सकता है क्या ? इस सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 5 से 6 द्वारा अपने लिखित बहस के साथ प्रस्तुत नजीरों में निम्न नजीर AIR 2019 Page 76 ORISSA Civil P.C. (5 Of 1908), O.8R.6-A, 6-C – Counter Claim – Maintainability – Suit For Partition – Suit Properties In Counter Claim By Defendant are different from that in Plaint – Defendant having No Claim Against plaintiff – Counter Claim Directed Solely Against CO – Defendant and not Against Plaintiff, Not Maintainable उक्त नजीर से स्पष्ट है कि प्रतिवादी का प्रतिवाद स्वयं प्रतिवाद के विरूद्व नहीं चल सकता हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं. 1 से 4 इस प्रतिवाद के माध्यम से प्रतिवादी सं. 5 व 6 के विरूद्व दाद प्राप्त नहीं कर सकता हैं। इसलिए प्रतिवादी सं. 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद प्रतिवादी सं. 5 व 6 के विरूद्व पोषणीय नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 4 चाहे तो इस सम्बन्ध में पृथक से वाद प्रस्तुत कर दाद प्राप्त कर सकता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रतिवादी सं. 1 से 4 का प्रतिवाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2019 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास मोहन सिंह, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री दूदा पिता उदयराम पालीवाल, ब्राहम्ण निवासी साकरोदा तह. मावली।
2. श्री तुलसीराम पिता उदयराम पालीवाल, ब्राहम्ण निवासी साकरोदा तह. मावली।
3. श्री भंवरलाल पिता रूपलाल पालीवाल, ब्राहम्ण निवासी साकरोदा तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री सोहनलाल पिता रूपलाल पालीवाल निवासी साकरोदा तह. मावली।
2. श्री भगवतीलाल पिता रूपलाल पालीवाल निवासी साकरोदा तह. मावली।
3. श्री रमेशचन्द्र पिता रूपलाल पालीवाल निवासी साकरोदा तह. मावली।
4. श्री नारायणलाल तिपा रूपलाल पालीवाल निवासी साकरोदा तह. मावली।
5. श्री नाथुलाल पिता हीरालाल गुजर निवासी साकरोदा तह. मावली।
6. श्री शंकरलाल पिता हीरालाल गुजर निवासी साकरोदा तह. मावली।
7. मु. सवी बेवा हीरालाल गुजर निवासी साकरोदा तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 15/03 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मोहन सिंह R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है किः–

प्रतिवादी सं. 1 से 4 का प्रतिवाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26.08.2019 को जारी की गई।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली